## संक्षिप्त

### अंजली अध्यक्ष व चन्द्रकला महामंत्री

**टोंक, (निसं)।** वैश्य महासम्मेलन जिला टोंक की महिला मंडल की ब्लॉक की बैठक का आयोजन विजयवर्गीय भवन टोंक में किया गया, जिसमें टोंक ब्लॉक की महिला इकाई की कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिलाध्यक्ष रामजीलाल विजयवर्गीय एवं जिला महामंत्री महेंद्र दुसाद खंडेलवाल के निर्देशानुसार महिला जिलाध्यक्ष रेखा जाजू की सहमति से टोंक ब्लॉक अध्यक्ष अंजली शेखावाटिया ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है। संरक्षक पद पर गीता विजयवर्गीय, संतोष गुप्ता, सीता विजयवर्गीय, मंजू विजयवर्गीय, उपाध्यक्ष हेमलता खंडेलवाल, श्वेता खंडेलवाल, सुनीता जैन, महामंत्री चन्द्रकला भगत, कोषाध्यक्ष मोनिका सेठी, सारिका सोनी, मंत्री अनिता चौधरी एवं मधु लुहाडिया को मनोनीत किया है। अंजली शेखावाटिया ने सभी नव-नियुक्त महिला पदाधिकारियों का माला व दुपट्टा पहनाकर स्वागत कर धन्यवाद ज्ञापित किया।

### कन्हैया के हत्यारों को फांसी की मांग

**पावटा, (निसं)।** उदयपुर जिले में हुई घटना को लेकर निकटवर्ती ग्राम लुहाकना भोमिया बाबा मंदिर प्रांगण में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन शर्मा जवानपुरा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन कर हत्यारों को फांसी की मांग की गई। इस दौरान वरिष्ठ किसान नेता व जीएसएस पूर्व अध्यक्ष अर्जुनलाल मीणा ने कहा कि हम सबको पुरजोर तरीके से कन्हैया हत्याकांड के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और सरकार से मांग करनी चाहिए कि अपराधियों को तुरंत फांसी दी जाए। सय समाज में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। इस मौके पर पूर्व सरपंच कैलाश गुर्जर, सूरजमल गुर्जर, छोटेलाल शास्त्री, सुगाराम गुर्जर, दीनाराम ठेकेदार, मालीराम बुनकर, चंदा राम गुर्जर, हंसराज भक्त, महेंद्र बुनकर, दीपचंद बुनकर, मालीराम बिछवाल, धूणीलाल धानका, उमराव, संतराम, सतीश, ओमप्रकाश, मनोहर लाल, मुरारी, दौलत राम सहित अनेक लोग मौजूद थे।

### स्कूल से पानी की मोटर चोरी

**सांभरझील।** यहां कटला बाजार स्थित शांति निकेतन इंग्लिश मीडियम स्कूल से टंकियों में पानी चढ़ाने के काम में आने वाली मोटर चोरी हो गयी, जियका अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। स्कूल की हैड साक्षी गांधी की ओर से इस आशय की रिपोर्ट पुलिस में भी दी गयी है।

### कार्यकारिणी का गठन

**टोंक, (निसं)।** अन्तर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन राजस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमप्रकाश गुप्ता, मंत्री अशोक गांधी, जिलाध्यक्ष रामजीलाल विजयवर्गीय, महामंत्री महेन्द्र दुसाद के निर्देशानुसार युवा वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष राजेश मंगल द्वारा जिले में टोंक जिला वैश्य युवा कार्यकारिणी का गठन किया गया है।

### कृषि ऋण पर ब्याज लगने का डर

**टोंक, (निसं)।** कठमाणा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष शिवजी राम यादव ने मुख्यमंत्री को नेटबंदी के कारण अंतिम तारीख 30 जून तक फसली ऋण जमा नहीं कराने वाले किसानों को 10 जुलाई तक ऋण जमा करवाने की अवधी बढ़ाने के लिए एवं ऋण को अवधी पार नहीं करने के लिए पत्र लिखा है।

नम्बर मिलाइए
9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

**राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय**
जे.एल.एन.मार्ग जवाहर सर्किल के पास, जयपुर 0141-4901853
**आम जाहिर सूचना** राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या 4/337 मालवीय नगर जयपुर क्षेत्रफल 90.00 वर्ग मीटर का आवंटन श्री हेमन दास पुत्र श्री खेम चन्द को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 3238दिनांक 01.10.1984 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रो का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 21.01.1994 को करवाया गया। श्री हेमन दास की मृत्यु दिनांक 15.03.1994 को हो जाने के पश्चात श्री नरेश कुमार सुखनानी पुत्र स्व.श्री मोहन दास सुखनानी एवं श्रीमती अनुराधा सुखनानी पत्नी स्व.श्री अशोक कुमार सुखनानी के द्वारा क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का हस्तान्तरण अपने नाम से करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें , अन्यथा उक्त अवधि मे कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता श्री नरेश कुमा सुखनानी पुत्र स्व.श्री मोहन दास सुखनानी एवं श्रीमती अनुराधा सुखनानी पत्नी स्व.श्री अशोक कुमार सुखनानी पक्ष में उक्त आवास के हस्तान्तरण की कार्यवाही करदी जावेगी।
सम्पदा प्रबंधक, वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

# बाल रोग विशेषज्ञ चिकित्सक को जान से मारने की धमकी

**चाकसू, (निसं)।** कस्बे में रविवार को निजी क्लीनिक पर बैठकर मरीज देख रहे एक सरकारी चिकित्सक पर एक निजी लैब के मालिक के द्वारा गाली गलौज हाथापाई करने के आरोप सहित जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

मामले को लेकर चाकसू हॉस्पिटल के सामने और पुलिस थाने के सामने अच्छा खासा हंगामा हो गया और चिकित्सकों एवं आम लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई जिससे क्षेत्र में तरह-

■ हॉस्पिटल और पुलिस थाने के सामने अच्छा खासा हंगामा रहा

मारपीट को लेकर चिकित्सकों एवं लोगों की भीड़ पुलिस थाने के सामने जमा हो गई।

तरह की चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया।

चाकसू थाना अधिकारी यशवंत सिंह यादव ने बताया कि उपजिला चिकित्सालय के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ शंकर लाल प्रजापत ने एक प्राइवेट लैब के मालिक पर जान से मारने की धमकी देने एवं क्लिनिक पर पहुंच कर गाली गलौच करने एवं हाथापाई करने का आरोप लगाते हुए चाकसू थाने में मामला दर्ज करवाया है। डॉ शंकर लाल प्रजापति ने रिपोर्ट में बताया है कि हंसराज गुप्ता जो कि खण्डेलवाल डाइग्नोस्टिक लैब का मालिक है जो मेरे निजी क्लीनिक पर आता है और गाली गलौज करके तलवार से काटने एवं जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। मैं वहां से बड़ी मुश्किल से बाहर निकल कर थाने में पहुंचा हूं इस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर के जांच में जुट गई है मामले में अभी तक आरोपी फरार है।

## मीणा समाज की कार्यकारिणी गठित

**नारायणपुर, (निसं)।** आदिवासी मीना सेवा समिति वाल क्षेत्र की बैठक रविवार को मातादीन मीणा की अध्यक्षता में तलुंडी मोहल्ले में स्थित दादा जी का चबूतरा पर आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नारायणपुर ईकाई की कार्यकारिणी का गठन किया गया। नारायणपुर ईकाई का अध्यक्ष कैलाश वैद्य को नियुक्त किया गया, उपाध्यक्ष पद पर प्रेमसिंह, सचिव पद पर घनश्याम, सह सचिव पद पर मुरारी लाल और कोषाध्यक्ष पद पर रामजीलाल को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारियों का समाज के लोगों द्वारा माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और वालक्षेत्र अध्यक्ष मातादीन मीणा द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस अवसर बुधाराम, छाजूराम, रत्तीराम, सीताराम, जलेसिंह, रामस्वरूप, श्रवण, सुभाष, सरदारा राम, कालू पंच, रामसिंह, महेश सहित समाज के सैकडो गणमान्य लोग उपस्थित थे।

# हजारों अभ्यर्थियों ने दी पीटीईटी की परीक्षा

**टोंक, (निसं)।** जिला मुख्यालय सहित निवाई में दो वर्षीय बीएड कोर्स तथा 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए पीटीईटी परीक्षा 2022 रविवार को शांतिपूर्वक सम्पन्न हुई, जिसमें हजारों अभ्यार्थियों ने परीक्षा दी।

जिला मुख्यालय सहित जिले के निवाई में पीटीईटी के लिय टोंक व निवाई में कुल 47 परीक्षा केन्द्र बनाये गये। जिला मुख्यालय पर सवेरे से ही पीटीईटी परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थियों का आना शुरु हो गया और सुबह ही सडकों पर परीक्षार्थियों की भीड भाड नजर आई। जहा सवेरे 11.30 बजे से दोपहर 2.30 बजे बीएड कोर्स में प्रवेश पाने के लिय परीक्षार्थियों ने पात्रता परीक्षा दी। परीक्षा शुरु होने के साथ ही प्रशासनिक, पुलिस एवं उडनदस्ते में

जिला मुख्यालय सहित निवाई में पीटीईटी परीक्षा के कुल 47 केन्द्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ रही।

तैनात अधिकारी टोंक शहर में परीक्षा केन्द्रों का भ्रमण का निरीक्षण करते हुए नजर आए। बाजार में परीक्षा सम्पन्न होते ही परीक्षार्थियों की भीड भाड शुरु हुई तो यातायात पुलिस कर्मियों ने यातायात व्यवस्था को बहाल किया। इस परीक्षा) के जरिए पात्र अभ्यार्थियो को बीएड कॉलेजों में सत्र 2022-23 के लिए दो वर्षीय बीएड कोर्स तथा 4 वर्षीय इन्टीग्रेटेड बीए बीएड एवं बीएससी बीएड कोर्स करने के लिय प्रवेश मिलेगा।

## सड़क निर्माण व कैनाल की सफाई का अनुरोध

**सांभरझील, (निसं)।** अम्बेडकर भवन के सामने से तेजाजी चौक जाने वाले रास्ते पर सड़क निर्माण करवाये जाने एवं देवयानी सरोवर से सिवानिया तक बारिश के पानी के लिये बनायी गयी कच्ची कैनाल में जगह जगह व्याप्त अवरोधक हटाये जाने के लिये पब्लिक राईटस एसोसिएशन के पदाधिकारी गोपाल लाल नोगिया व रब्बानी खान ने तहसीलदार हरिसिंह राव को इस आशय के अलग अलग दो पत्र सौंपे।

गोपाल नोगिया ने बताया कि बारिश के कारण यह रास्ता तालाब का रूप ले लेता है, रास्ते में आधा से एक फुट तक गड्ढे हो गये है, ऐसे में लोगों की आवाजाही और मुश्किल हो जाती है। यदि रोड का काम शीघ्र शुरू नहीं किया गया तो उन्हें धरने पर बैठने के लिये मजबूर होना पडेगा। इसी प्रकार रब्बानी खान ने विगत दिनों प्रकाशित खबर के आधार पर देवयानी सरोवर से सिवानिया तक बारिश के पानी को सरोवर में पहुंचाने के लिये बनायी कच्ची कैनाल की विगत एक साल में कोई साफ सफाई नहीं होने से नाराजगी जाहिर की है। इन पदाधिकारियों ने तहसीलदार से मुलाकात कर जनहित में इन मुद्दों को हल करवाने का अनुरोध किया है।

## पावटा-प्रागपुरा बंद का आव्हान

**पावटा, (निसं)।** उदयपुर जिले में टेलर कन्हैयालाल की हत्या के मामले में संपूर्ण हिंदू समाज, सामाजिक संगठन व व्यापारिक संगठन एवं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दुर्गा वाहिनी, मजदूर संघ, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, पावटा वस्त्र व्यापार मंडल, पावटा किराना व्यापार मंडल,पावटा मनिहारी व्यापार मंडल, पावटा सब्जी मंडी सहित संपूर्ण सामाजिक संगठन व सर्व समाज के प्रमुख लोगों द्वारा ग्रीन पार्क होटल पावटा में एक बैठक का आयोजन कर सर्व समति से निर्णय लेते हुए 4 जुलाई को इमरजेंसी सेवाओं को छोडकर संपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र में बाजार बंद का आव्हान व मौन जुलूस निकाल कर उपखंड कार्यालय पावटा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौप हिंदू धर्म के लिए बलिदान होने वाले कन्हैयालाल को 2 मिनिट का मौन रख श्रद्धांजलि देकर कार्यक्रम का समापन किया जाएगा।

# भंवर जितेंद्र सिंह व मंत्री जूली का स्वागत किया

**किशनगढ़ बास, (निसं)।** पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली का अलवर से दिल्ली जाते वक्त रविवार को किशनगढ़ बास में विधायक कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया।

इस दौरान विधायक दीपचंद खैरिया जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा प्रधान बद्री प्रसाद सुमन सहित कांग्रेस के जिला वे ब्लॉक संगठन के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता मौजूद रहे। मीडिया प्रभारी सुनील कान्त गोल्डी ने बताया कि रविवार को अलवर से दिल्ली जा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह व केबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा का किशनगढ़ बास में विधायक कार्यालय पहुंचने पर विधायक दीपचन्द खैरिया के नेतृत्व में प्रधान पार्षद सरपंच सहित कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत किया गया। इस अवसर नगरपालिका प्रतिपक्ष नेता उमेश यादव, गिरीश डाटा, धीरुभाई, रामचन्द्र कामरेड, मनोज बुराडिया, पवन वासु, राजेन्द्र सिंघल, सरपंच अब्बास खान, सरपंच जेकम खान, सरपंच अशोक कुमार, पार्षद नितिन यादव, सुनील सांवरिया, जतिन लालवानी, त्रिभुवन शर्मा, भागेन्द्र खैरिया, अर्जुन ठाकुर सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे।

**खोया पाया**
थार डवलपमेंट सोसायटी रजि.नं. 111/जयपुर/1993-94 के मूल दस्तावेज जिसमें सर्टिफिकेट, बॉयलॉज व एक्जीक्यूटिव कमेटी लिस्ट इत्यादि कहीं गुम हो गये मिलने पर सूचित करें- पुरूषोतम भारद्वाज 9829069580

**लुनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति लि.जयपुर**
क्रमांक-एसपी.01 दिनांक-02/07/2022
**आम सभा की सूचना**
समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आमसभा दिनाक 18.7.2022 को प्रातः 11.00 बजे समिति कार्यालय-अशोका होटल, ई.पी.आई.पी.गेट के सामने, सांगानेर जयपुर पर आयोजित की जायेगी, जिसका एजेण्डा निम्नानुसार है-
1. गत आमसभा की पुष्टि।
2. समिति की गत वर्षो की ऑडिट का अनुमोदन एवं ऑडिट अनुपालना पर विचार।
3. विभाग द्वारा जारी संशोधित उपनियमों को अंगीकार करने पर विचार।
4. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।
अतः समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त समय पर आम सभा में उपस्थित होंवे।
मंत्री, लुनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति लि.जयपुर

**बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि.जयपुर**
क्रमांक-एसपी.01 दिनांक-01/07/2022
**आम सभा की सूचना**
समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आमसभा दिनाक 15.7.2022 को प्रातः 11.00 बजे समिति कार्यालय-बी-3, पिंकटावर, टोंक पुलिया से पहले, टोंक रोड, जयपुर पर आयोजित की जायेगी, जिसका एजेण्डा निम्नानुसार है-
1. गत आमसभा की पुष्टि।
2. समिति की गत वर्षो की ऑडिट का अनुमोदन एवं ऑडिट अनुपालना पर विचार।
3. विभाग द्वारा जारी संशोधित उपनियमों को अंगीकार करने पर विचार।
4. अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से।
अतः समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त समय पर आम सभा में उपस्थित होंवे।
मंत्री, बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

## अतिक्रमणों पर चला पंचायत का पीला पंजा

**मालपुरा, (निसं)।** रिण्डलिया ग्राम पंचायत के कल्याणपुरा गांव में सिवायचक भूमि पर वर्षों से काबिज अतिक्रमियों पर ग्राम पंचायत ने कार्यवाही करते हुए पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में जेसीबी की सहायता से कच्चे-पक्के अतिक्रमण ध्वस्त किये। पंचायत सरपंच रूचिता सैनी ने बताया कि गांव की तकरीबन 3 बीघा सरकारी भूमि पर कई सालों से अतिक्रमण कर कच्चे-पक्के निर्माण करने वाले अतिक्रमियों को कई बार पंचायत की ओर से नोटिस जारी किये गये। जिला कलेक्टर व संभागीय आयुक्त की जनसुनवाई में भी मामला रखा गया। पूर्व में भी पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाये गये। लेकिन अतिक्रमियों द्वारा दोबारा अतिक्रमण कर लेने के चलते एसडीएम आरके वर्मा के निर्देशों पर तहसीलदार जीआर बैरवा व राजस्व विभाग सहित थानाधिकारी कैलाश विश्रोई की निगरानी में भारी पुलिस जाप्ते की मौजूदगी में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमणों को हटा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त की कार्यवाही की गई।

राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर
दि.2.7.2022 आम सूचना रजि.नं. 2877/एल
**सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की आवासीय योजना श्री कृष्णा विहार स्थित ग्राम कपूरावाला तह.सांगानेर जयपुर जो कि ओम खरवास निवासी मांग्यावास तह.सांगानेर के द्वारा विकसित की गई जिसके पट्टे ओम खरबास समिति कार्यालय में से ले जाकर आवंटियों को दिये हैं जिसमें ओम खरबास ने सोसायटी के पूर्व पदाधिकारियों को धोखा देकर 9 भूखण्ड क्रमशः 95, 95-A लगायत 102 बिना अधिकारिता के पट्टे ले गया उक्त नो भूखण्डों पर समिति के रिकार्ड में ओम खरबास के हस्ताक्षर हैं जिसके लिये ओम खरबास स्वयं जिम्मेदार है तथा ओम खरबास के विरूद्ध समिति के वर्तमान पदाधिकारियों द्वारा कानूनी कार्यवाही की जा रही है।** मंत्री,
राम नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर

**सख्यांक 6**
**अपील की सुनवाई के लिए नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना**
**( आदेश 41 का नियम 14 )**
न्यायालय अपील किराया प्राधिकरण स्थान उदयपुर (राज.) श्री एफ.यू.खान आदी विरूद्ध श्रीमती नीलु माथुर आदी
- अपीलान्टस् - रेस्पोन्डेन्टस
मु.न. 11/2021 अ.दी. ( किराया )
- अपीलार्थी - प्रत्यर्थी
न्यायालय किराया अधिकरण, उदयपुर के न्यायालय की तामील 2-8-2021 प्रकरण संख्या 26/2010 रेन्ट कंट्रोल को अपील प्रेषिति संख्या 1. श्रीमती नीलु माथुर पत्नी स्व. श्री विजय कुमार माथुर निवासी नाग कॉटेज, सहेली मार्ग, उदयपुर हाल जयपुर (राज.) प्रेषिति संख्या 2. श्री हर्ष माथुर पिता स्व. श्री विजय कुमार माथुर निवासी नाग कॉटेज सहेली मार्ग, उदयपुर (राज.) हाल जयपुर (राज.)
आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में उपरोक्त की डिक्री की अपील द्वारा उपस्थपित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली है और इस अपील की सुनवाई के लिए इस न्यायालय द्वारा तारीख 27.07.2022 नियत की गई है।
यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके कार्य करने के लिये विधिना अधिकृत कोई व्यक्ति उप संजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जाएगी। यह आज तारीख 2.7.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से,
मुहर न्यायलय वरिष्ठ मुन्सरीम
जिला एवं सेशन न्यायालय
उदयपुर ( राज. )

## अवैध बजरी सहित ट्रेलर जब्त

**डिग्गी, (निसं)।** डिग्गी थाना पुलिस ने बजरी परिवहन पर कार्यवाही की। डिग्गी थानाधिकारी सत्यनारायण चौधरी ने बताया कि अल सवेरे दौराने गश्त के जयसिंहपुरा मोड से एक ट्रेलर आरजे 26 जी ऐ 4815 को अवैध बजरी परिवहन करते हुए जप्त किया गया है। चालक सत्यनारायण पुत्र नन्दलाल जाति गौस्वामी निवासी बनेडिया थाना टोडारायसिंह जिला टोंक को गिरफ्तार किया गया गया है। प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है।

# पीड़ित दलित परिवार से ली तथ्यात्मक जानकारी

**अलवर।** दलित शोषण मुक्ति मंच (डीएस एमएम) प्रतिनिधिमंडल ने मंच के प्रदेश सह संयोजक डॉ.रमेश बैरवा के नेतृत्व में अलवर की मुंडावर तहसील के गांव सुखमनहेडी पहुंच कर दलित उत्पीडन की घटना की जानकारी ली।

प्रतिनिधिमंडल में मंच जिला संयोजक मंडल के सदस्य जीतसिंह, उमेश कुमार बिसराल, एडवोकेट पंकज सांवरिया, महेश जाजोरिया एवं पत्रकार डॉ.महेश वर्मा शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित दलित हरचंद, श्रीचंद एवं फूलचंद सहित उनके परिवार जन से मुलाकात कर तथ्यात्मक जानकारी। पीड़ितों ने बताया कि उनका परिवार करीब 45 वर्षों से अपने खेत पर मकान बनाकर अपनी 14-15 बीघा जमीन पर खेती करता रहा है। इनके मकान और खेत पर पहुंचने के लिए सडक से कानूनन 12 फीट का सरकारी रास्ता है। लेकिन इस पर जाट जाति के दबंगों ने अवैध कब्जा करके जबरन फसल बोदी है। सारे रास्ते को जोत दिया है, पगडंडी भी नहीं छोडी है। इस दलित परिवार के लिए अपने घर एवं खेतों पर पहुंचना असंभव हो गया है। यदि वे इस सरकारी रास्ते से जैसे-तैसे अपने घर और खेत पर जाने का साहस करते हैं तो जाति विशेष के गुंडे किस्म के अतिक्रमणकारी दलित परिवार को मार पीट की धमकी देते हैं। बदसलूकी करते हैं। गाली गलौज करते हैं। डीएसएमएम टीम ने इस प्रकरण से एक बार फिर पाया है कि गांवों में जाति विशेष के दबंगों द्वारा दलितों को परेशान और प्रताड़ित किए जाने के पीछे असल मकसद, असल नीयत दलितों की जमीनों को हथियाना है। डीएसएमएम जिला संयोजक मंडल ने तय किया है कि 4 जुलाई को दोपहर बाद 3 बजे पीडितों को साथ लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन के साथ दलित उत्पीडन की घटना की विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट देकर पीड़ितों की समस्या के जल्द समाधान की पुरजोर मांग की जाएगी। पुलिस अधीक्षक को भी इस समस्या से अवगत कराया जाएगा। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर भी ज्ञापन भेजे जाएंगे।

## विकास अधिकारी की सरपंच ने प्रधान से की शिकायत

**बहरोड़/नीमराना, (निसं)।** बहरोड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत खोहर ग्राम पंचायत के सरपंच ने प्रधान को विकास अधिकारी द्वारा 10 पर्सेंट कमीशन मांगे जाने की शिकायत देते हुए उच्च स्तरीय कार्यवाही की मांग की।

शिकायत में बताया गया है कि पंचायत समिति के विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौहान द्वारा ग्राम पंचायत खोहर की सरपंच से विकास कार्यों की एवज में 10 प्रतिशत कमीशन की मांग की है। सरपंच ने बताया कि ग्राम पंचायत खोहर के ग्राम शिवदानसिंहपुरा में शिशुपालसिंह पंच वार्ड नंबर 1 ने दिनांक 2 जून 2022 को स्वयं तथा मोहल्ले वासियों द्वारा लिखित में सरपंच ग्राम पंचायत से आवेदन किया कि मोहल्ले में पेयजल टंकी व पाइप लाइन का काम किया जाए। जिस पर सरपंच ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या तीन के तहत इस कार्य हेतु आबादी भूमि में जगह चिन्हित करने के लिए 3 पंचों की मौका कमेटी गठित की। जिस पर तीनों पंचों ने सर्वसम्मति से जगह चिन्हित की तथा आबादी भूमि के पट्टा धारी व्यक्ति से टंकी बनाने हेतु जमीन का दान पत्र लिखवा लिया। जिसके बाद पंचायत समिति बहरोड के विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौहान ने रुपए ऐंठने की नियत से एक झूठी शिकायत अपने चहेतों से मंगवाई जिस पर कार्य नहीं करने का दबाव बनवाया। इसके बाद विकास अधिकारी वीरेंद्र सिंह चौहान से वार्ड पंच मिले तो विकास अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि ग्राम पंचायत की सरपंच विधायक के फेवर की नहीं है। इसलिए कोई काम नहीं करने दिया जाएगा तथा अगर कोई कार्य किया जाएगा तो 10 प्रतिशत कमीशन के रूप में राशि देनी होगी।

OFFICE OF GRAM PANCHAYAT KISHANPURA, P.S. PALSANA (SIKAR)
No. : Proc./2022-23/58 Date : 30.06.2022
E-Tender Notice No. 01/2022-23
Bids for open tender of Procurement of Construction Material for Works in MGNREGA and Other Scheme in Gram Panchayat Kishanpura Panchayat Samiti Palsana(Sikar) are invited from Firms/Suppliers Registered under the GST act 2017, upto 06:00 PM of 09.07.2022 Other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://sppp.raj.nic.in and http://eproc.rajasthan.gov.in of state.
NIB No.:- PSP2223 A0038 UBN No.:- PSP2223 GLRC00034
VILLAGE DEVELOPMENT OFFICER
GRAM PANCHAYAT KISHANPURA
PNCHAYAT SAMITI PALSANA
SARPANCH
GRAM PANCHAYAT KISHANPURA
PNCHAYAT SAMITI PALSANA

# उदयपुर घटना को लेकर क्षेत्र में पुलिस अब भी चाक-चौबन्द

**सांभरझील, (निसं)।** उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से की गयी हत्या के बाद संवेदनशील बने प्रदेश की कानून व्यवस्था के मद्देनजर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में पुलिस पूरी तरह से चाक चौबन्द बनी हुयी है।

पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से खास निर्देश के बाद दूदू एडिशनल एसपी दिनेश शर्मा, सांभर एसडीएम जयन्त चौधरी व सांभर डिप्टी लक्ष्मी सुथार ने पुलिस फोर्स के साथ अनेक थाना क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों में सुरक्षा का माहौल बनाये रखने के लिये पुलिस का फ्लैग मार्च भी निकाला गया। लिखने योग्य है कि सांभर समूचे प्रदेश में सौम्प्रदायिक सौहार्द की खास मिसाल आज भी कायम हुये है, लेकिन एहतियात के तौर पर नगर के मौजिज लोगों व सीएलजी सदस्यों की बैठक आहूत कर एडिशनल एसपी दिनेश शर्मा व एसडीएम जयन्त चौधरी ने सभी को भाईचारे के साथ रहने, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने व ऐसे मैसेज को सोशल मीडिया पर आगे फारवर्ड नहीं करने के लिये अपील की जिससे माहौल खराब होता हो। डिप्टी लक्ष्मी सुथार से बात करने पर उन्होंने बताया कि आज तीन दिन बाद इंण्टरनेट सेवा बहाल की गयी है, पुलिस ने इसके लिये आमजन, मीडिया बंधुओं से सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म पर संयम बरतने की अपील की है। गलती

सांभर की पुरानी धानमण्डी में एडिशनल एसपी ने सीएलजी सदस्यों व गणमान्य लोगों के साथ बैठक ली।

या हंसी मजाक में धार्मिक भावनायें आहत करने वाला कुछ नहीं रखे, न ही स्टेटस पर लगायें, मोबाइल व सोशल मीडिया प्लेटफार्म से बच्चों को दूर रखें। सीएलजी की बैठक में तहसीलदार हरिसंह राव, व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राजेन्द्र नारनोली, पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल, दरगाह खादिम सैय्यद अलताफ अहमद, अंजुमन कमेटी के सलाम शेख, शमीम अजमेरी उर्फ भोलू खां, वक्फ कमेटी के सदर एडवोकेट जाकिर हुसैन, पूर्व पार्षद विनोद गट्टानी, कमला खाड़िया, पूर्व पार्षद हनीफ खां, हिन्दू संगठन से जुड़े देवेन्द्र कुमार भार्गव, सहित अनेक लोग भी मौजूद रहे।

## थानाधिकारी की आमजन से अपील

**फुलेरा, (निसं)।** राजस्थान में 5 दिन बाद इंटरनेट सुविधा सूचारू होने पर क्षेत्र के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। गौरतलब है कि 29 जून से 3 जुलाई सायं 5 बजे तक इन्टरनेट सुविधा बन्द होने के कारण इन्टरनेट से जुडी आवश्यक कार्य प्रणाली अवरुद्ध हो गयी थी।

हालांकि ई-मित्र, बैंक, रेलवे स्टेशन आदि पर ब्राडबैंड(वाई-फाई)

■ इंटरनेट सेवा बहाल होने पर पुलिस की खास अपील

की सहायता से कार्य चल रहा था। इसी क्रम में फुलेरा थानाधिकारी रघुवीर सिंह राठौड ने समस्त आमजन से अपील करते हुए कहा कि सोशल मीडिया व अन्य प्लेटफार्म पर संयम बरतें। क्योंकि आपकी एक गलत टिप्पणी, गलत फोटो, गलत संदेश, गलत लाइक अथवा गलत स्टेटस फॉरवर्ड करने से माहौल खराब हो सकता है। अतः आप सभी बेहद सावधानी एवं संयम बरतें। साथ ही किसी प्रकार की कोई धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला कोई मेसेज नहीं रखें ना ही किसी को फारवर्ड करें और ना स्टैटस पर लगाएं। वहीं बच्चों को मोबाइल व सोशल मीडिया प्लेटफार्म से दूर रखें। जिले एवं राज्य में सौहार्दपूर्ण सद्भाव बनाये रखने हेतु सभी लोग सहयोग करे। इसी क्रम में आगे बताया कि सोशल मीडिया पर पुलिस साईबर सैल एवं अन्य संस्थाओं द्वारा पैनी नजर रखी हुई है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी प्रकार का भ्रामक पोस्ट की जाती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। आमजन जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस का सहयोग करे।

**आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** IDFC FIRST Bank
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)
CIN : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय - केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चैन्नाई-600031
फोन- +91 44 4564 4000 | फैक्स- +91 44 4564 4022

**वित्तीय अस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण एवं ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के सैक्शन 13 (2) के तहत नोटिस**

निम्न ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं ने नीचे वर्णित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड का सिक्योर्ड ऋण (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से लिया था। निम्नलिखित ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के ऋण उनकी अपनी-अपनी सम्पत्तियों के गिरवी रखने से सुरक्षित है। क्योंकि उन्होंने अपने-अपने ऋण एग्रीमेन्टस के नियम व शर्तों की पालना नहीं की है और अनियमित हो गये है, उनके ऋणों को आरबीआई की गाइडलाइन्स के अनुसार एनपीए वर्गीकृत कर दिया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशियाँ उनके पृथक नोटिस में लिखी गयी है तथा और विशेष रूप से निम्न सूचि में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे का ब्याज भी लागू होगा तथा वह उनकी अलग-अलग तिथियों से समझौते की प्रभावी दर से वसूला जायेगा।

| क्रम संख्या | ऋण खाता संख्या | ऋण का प्रकार | ऋणग्रहिताओं एवं सहऋणग्रहिताओं के नाम | सैक्शन 13(2) के नोटिस की तिथि | सैक्शन 13(2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि | सम्पत्ति का पता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39285952 | गृह ऋण | 1. मुकेश कुमार वर्मा 2. भगवती देवी | 29.06.2022 | 3,90,268.01/- | पट्टा नं.82, ग्राम रंजीतपुरा, ग्राम पंचायत नांगल गोविन्द पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील-चौमूं, जयपुर, राजस्थान-303602 क्षेत्रफल 150 वर्गगज अर्थात 125.43 वर्गमीटर, का पूरा व प्रत्येक भाग, और सीमायें है- पूर्व-17'0" चौडा आम रास्ता, पश्चिम- 17'9" चौडा आम रास्ता, उत्तर-प्लाट नं.03, दक्षिण-प्लाट नं.05 |

आपको एतद्द्वारा, इस प्रकाशन के 60 दिन के अन्दर, ऊपर सूचि में दर्शायी राशियों को उनकी प्रथम तिथि से, उस पर लगे आगे के समझौते में ब्याज दर तथा अन्य खर्चों, चार्ज आदि सहित आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लि. (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को भुगतान करने को कहा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं हुआ, तो अधोहस्ताक्षरकर्ता को, एसएआरएफएइएसआई एक्ट के सैक्शन 13(4) तथा सैक्शन 14 के तहत, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) को देय राशि वसूल करने के लिये, गिरवी रखी सम्पत्तियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिये बाध्य होना पडेगा/इसके अलावा उक्त एक्ट के सैक्शन 13 (13) के तहत आप उक्त सम्पत्तियों को बिक्री/लीज अथवा किसी अन्य प्रकार से ट्रांसफर नहीं करने के लिये प्रतिबंधित है। ह./-
दिनांक- 04.07.2022
स्थान- जयपुर
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्व में कैपीटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ सम्मिलित वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के नाम से जाना जाता है)